

कार्यालय जिला पंचायत, रायबरेली टेण्डर / नीलाम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत रायबरेली के प्रबन्धाधीन ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित निम्न विवरणानुसार टैम्पों टैक्सी स्टेण्ड हेतु **टेण्डर दिनांक 22.02.2011 समय सायं 2.00बजे** को निर्धारित षर्तों के अधीन जिला पंचायत रायबरेली के सभागार में आमन्त्रित किये जाते हैं तथा **उसी दिन सायं 3.00 बजे खोले जायेंगे** एवं सार्वजनिक सड़क की पटरियों पर लगने वाली बाजार के प्रबन्धन के ठेका हेतु **टेण्डर दिनांक 25.02.2011 समय सायं 2.00बजे** को निर्धारित षर्तों के अधीन जिला पंचायत रायबरेली के सभागार में आमन्त्रित किये जाते हैं तथा **उसी दिन सायं 3.00 बजे खोले जायेंगे**।
ॐ टैक्सी स्टेण्ड वर्ष 2011-12 (01 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक)

टैम्पों टैक्सी स्टेण्ड का नाम	
वि०ख० – डलमऊ	1. घुरवारा
वि०ख० – दीनषाहगौरा	2. गदागंज
वि०ख० – खीरों	3. खीरों 4. सेमरी चौराहा
वि०ख० – सरेनी	5. सरेनी 6. भोजपुर 7. पूरे पाण्डेय 8. रालपुर
वि०ख० – लालगंज	9. बेहटा चौराहा 10. गांधी चौराहा 11. गेगासों
वि०ख० – शिवगढ़	12. शिवगढ़
वि०ख० – जगतपुर	13. जगतपुर
वि०ख० – बछरावां	14. राजामऊ 15. इचौली
वि०ख० – महाराजगंज	16. सेमरौता 17. हलोर
वि०ख० – राही	18. राही
वि०ख० – ऊँचाहार	19. खोजनपुर 20. सवैया तिराहा 21. बाबूगंज 22. जमुनापुर चौराहा
वि०ख० – हरचन्द्रपुर	23. हरचन्द्रपुर
वि०ख० – सतांव	24. गुरुबक्शगंज 25. बदई चौराहा

नोट – क्रमांक 5, 11, 17, 19, 21, अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु आरक्षित रहेंगे।

उपरोक्त प्रत्येक टैम्पों, टैक्सी स्टेण्ड हेतु निविदा फार्म का मूल्य 225/- रु० मात्र

ॐ सार्वजनिक सड़क की रोड पटरी पर लगने वाले बाजारें वर्ष 2011-12 (01 अप्रैल 2011 से 31. मार्च 2012 तक)

बाजार का नाम	
वि०ख० – बछरावां	1. रानी खेडा 2. इचौली 3. दौस्तपुर
वि०ख० – सतांव	4. टिकरा
वि०ख० – राही	5. राही 6. मालिन का पुरवा 7. मेजर गंज 8. भावं 9. रूस्तमपुर 10. लक्ष्मणगंज
वि०ख० – शिवगढ़	11. गूढा 12. भवानीगढ़ 13. नरेथुवा बार्डर 14. बसन्तपुर
वि०ख० – जगतपुर	15. मधवापुर 16. लक्ष्मणपुर
वि०ख० – ऊँचाहार	17. बहेरवा 18. उसरैना 19. जमुनापुर चौराहा 20. सवैया तिराहा 21. सलीमपुर भैरों
	22. अकोढिया 23. अरखा
वि०ख० – दीनषाहगौरा	24. गदागंज
वि०ख० – सरेनी	25. भोजपुर
वि०ख० – डलमऊ	26. देवगांव 27. घुरवारा
वि०ख० – हरचन्द्रपुर	28. हरचन्द्रपुर
वि०ख० – महाराजगंज	29. हलोर 30. मऊ
वि०ख० – खीरों	31. महारानीगंज 32. सेमरी
वि०ख० – अमावां	33. थुलवासा चौकी

नोट – कमांक 5, 6, 12, 19, 22, 24, 32 अनुसूचित जाति/जन जाति हेतु आरक्षित रहेंगे।

उपरोक्त प्रत्येक बाजार हेतु निविदा फार्म का मूल्य 225/- रू0 मात्र

उपरोक्त निविदाओं हेतु निविदा फार्म सीधे जिले की वेबसाइट www.jjchd.com से सीधे डाउनलोड की जा सकती है। जिसके लिये निविदा फार्म मूल्य तथा निविदा धनराशि सीधे जिला पंचायत, रायबरेली की जिलानिधि यूनियन बैंक आफ इण्डिया के खाता सं0 – 302402010992077 में जमा कर, रसीद निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

निर्धारित शर्तें

1. प्रत्येक निविदा दाता को अपने ग्रह जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा की सम्पूर्ण धनराशि अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रायबरेली के पदनाम से बैंकर चेक, ड्राफ्ट, पोस्टल आर्डर अथवा जिला पंचायत रायबरेली की प्रपत्र 5 पर जमा की गयी धनराशि की रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. जिला पंचायत के किसी भी प्रकार के बकायेदार को निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। बकायेदार अपनी बकाया धनराशि जमा कर अदेयता प्रमाण पत्र के साथ निविदा डाल सकता है।
4. 100 रू के स्टाम्प पर इस आषय का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा की प्रबन्धन के दौरान उपविधि के अनुसार वसूली की जायेगी एवं जन समान्य के लिये स्थल पर निर्धारित न्यूनतम सुविधायें मुहैया करायीं जायेगीं।
5. टेण्डर स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष, जिला पंचायत में निहित होगा। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
6. टेण्डर स्वीकृत होने पर बोलीदाता को निर्धारित मूल्य के जनरल स्टाम्प पर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा।
7. बाजार/स्टैण्ड का निरीक्षण किसी भी समय जिला पंचायत द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा सकता है।
8. तहबाजारी/स्टैण्ड शुल्क की वसूली जिला पंचायत द्वारा जारी की गयी रसीदों पर ही करनी होगी। जिन्हें कार्यालय से निर्धारित मूल्य जमा करने के उपरान्त प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से छपाई गयी रसीदों पर वसूली करते पाये जाने पर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। प्रयोगशुदा रसीदों के प्रतिपण कार्यालय में जमा करना होगा।
9. तहबाजारी/टैक्सी स्टैण्ड की वसूली कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी दरों पर करना होगा। निर्धारित दर से अधिक वसूली की शिकायत प्राप्त होने पर पूर्णनीलाम की कार्यवाही की जायेगी।
10. बाजार/स्टैण्ड का संचालन समय-समय पर जारी शासनादेशों एवं जिला पंचायत की प्रचलित उपविधियों तथा जारी शासनादेशों के अनुसार करनी होगी।
11. किसी भी माफिया गति विधि में संलिप्त व्यक्ति को निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

